7

राज्य आयुक्त (दिव्यांगजन) न्यायालय
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
25— डी, माता सुंदरी मार्ग, गुरु नानक आई सेन्टर के पास
नई दिल्ली—110002

दूरभाष संख्या— 23216001—23216004, **E-mail: comdis.delhi@nic.in**
(दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुच्छेद 82 के तहत सिविल कोर्ट की शक्तियों से निहित)

केस सं० 1018/1092/2019/07/4229—4231 दिनांक — 08/08/2019

के संदर्भ में

श्री भगवाान,
ऐ—74, जे.जे. कॉलोनी, सावदा घेवरा,
उत्तर—पश्चित दिल्ली,
दिल्ली—110081 ....शिकायतकर्ता

बनाम

निदेशक,
समाज कल्याण विभाग,
दिल्ली सरकार,
जी.एल.एन.एस कॉम्पलैक्स,
नई दिल्ली—110002 ....प्रतिवादी स. (1)

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
उत्तर—पश्चिम,
मूक व वधिर विद्यायल, सेक्टर—4,
रोहिणी, दिल्ली—110085 ....प्रतिवादी स. (2)

आदेश

उपरोक्त शिकायतकर्ता जो कि 50% स्नायविक दिव्यांग (Neurological Disability) है, ने अपनी शिकायत दिनांक 08.07.2019 के माध्यम से बताया है कि उन्होंने समाज कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार में दिव्यांगता पेंशन के लिए आवेदन संख्या 26040000010164 के तहत दिनांक 06.04.2018 को आवेदन किया था। परन्तु आज तक भी पेंशन जारी नहीं कि गयी है

Court of Commissioner (Disabilities)
National Capital Territory of Delhi
Room No. - 1
25-D, Mata Sundari Road, New Delhi-02

2. उपरोक्त शिकायत को प्रतिवादीयों के साथ सुनवाई नोटिस दिनांक 17.07.2019 के द्वारा उठाया गया था और साथ ही यह निर्देश दिया गया था कि शिकायतकर्त्ता की शिकायत पर की गयी कार्यवाही की रिर्पोट को इस न्यायालय में दिनांक 23.08.2019 तक भेजे।

3. समाज कल्याण विभाग, कार्यालय जिला अधिकारी उ0–प0, मूक व वधिर विद्यालय, सेक्टर–4, रोहिणी, दिल्ली ने अपने पत्र संख्या एफ–4(5) कोर्ट केस/डी.ओ.एन. डब्ल्यू–1/19–20/654 दिनांक 26.07.2019 के माध्यम से सूचित किया कि शिकायतकर्ता ने ऑनलाइन दिव्यागता पेंशन का फार्म जिसकी आई. डी. न.–26040000010164 दिनांक 06.04.2018 है, को जिला कार्यालय उ0 प0–1 में भरा है। शिकायतकता को बताया गया है कि आवेदक का पहचान पत्र हस्ताक्षर कर के साथ अपलोड करें। यदि यह दस्तावेज अपलोड न करवा सके तो वह सभी मूल दस्तावेजों को लेकर जिला कार्यालय में सोमवार से शुक्रवार सुबह 10:00 बजे से दोपहर 01:30 बजे तक सम्पर्क करें ताकि दस्तावेजों को अपलोड किया जा सके और फार्म की कमी को दूर कर के शिकायत पर उचित कार्यवाही की जा सके।

4. शिकायतकर्ता की माता जी को दिनांक 26.07.2019 को उनके द्वारा दिए गए मोबाइल नम्बर (91+ 8010025824) पर संपर्क किया गया और उन्हें समाज कल्याण विभाग, कार्यालय जिला अधिकारी उ0–प0, के पत्र दिनांक 26.07.2019 में दी गयी जानकारी की सूचन दी गयी। उन्होंने कहा कि दिनांक 29.07.2019 सम्बंधित कार्यालय में जाकर वह सम्बंधित दस्तावेज जमा करा देंगी। दिनांक 01.08.2019 को उनके द्वारा दिए गए मोबाइल नम्बर (91+ 8010025824) पर दुवारा संपर्क किया गया और उन्होंने बताया कि समाज कल्याण विभाग, कार्यालय जिला अधिकारी उ0–प0, ने उनके सभी दस्तावेजों को अपलोड कर दिया है और 30 दिनों के अन्दर उनकी पेंशन शुरू हो जायेगी।

Court of Commissioner (Disabilities)
National Capital Territory of Delhi
Room No. - 1
25-D, Mata Sundari Road, New Delhi-02

5. उपरोक्त के मद्देनजर प्रतिवादि सं. 1 व 2 को यह निर्देश दिया जाता है कि शिकायतकर्ता की दिव्यांगता पेंशन दिनांक 31.08.2019 तक निस्तार कर इस न्यायालय को दिव्यांगजन अधिनियम 2016 की धारा 81 के अनुसार सूचित करें।

6. उपरोक्तानुसार मामले को निस्तारित किया जाता है।

7. आज **दिनांक 09.08.2019** इस न्यायालय व राज्य आयुक्त द्वारा मोहर के साथ जारी किया गया ।

Court of Commissioner (Disabilities) ★ National Capital Territory of Delhi ★

(टी. ड़ी. धारियाल)

राज्य आयुक्त (दिव्यांगजन)
Court of Commissioner (Disabilities)
National Capital Territory of Delhi
Room No. - 1
25-D, Mata Sundari Road, New Delhi-02